

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

विज्ञापन संख्या- 02/2025

[डाटा इंट्री ऑपरेटर]

अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान परिषद् सचिवालय विज्ञापन संख्या- 02/2025 के अन्तर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर के 35(पैंतीस) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा के आधार पर 33(तैंतीस) अभ्यर्थियों को कोटिवार अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है, जिनका अनुक्रमांक एवं वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नवत् है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) का 01(एक) पद एवं अनुसूचित जाति (मिहला) का 01(एक) पद पर कोई भी अभ्यर्थी के सफल नहीं होने की वजह से रिक्त रह गया है।

अनारक्षित कोटि -

200129	200008	200136	200134	200031	200095	200330
200232(F)	200032(F)	200110(F)	200078(F)	200278(F)	200131(OH)	200362(OH)
200109(DD)						

अनुसूचित जाति -

200087	200112	200028	200003
--------	--------	--------	--------

अत्यंत पिछड़ा वर्ग -

200016	200370	200262(FF)	200051	200040(F)	200093(F)
--------	--------	------------	--------	-----------	-----------

पिछड़ा वर्ग -

200146	200163	200094	200155
--------	--------	--------	--------

पिछड़े वर्गों की महिला -

200062

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग -

200029	200089	200168(F)
--------	--------	-----------

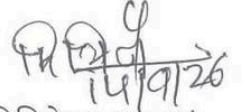
कट ऑफ मार्क्स-

क्र.सं.	वर्ग	पुरुष	महिला	दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती / नाती/ नतीनी (FF)
1.	अनारक्षित	103.00	94.54	OH-89.26, DD-83.81
2.	अनुसूचित जाति	85.63	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	-	-	-
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	90.81	85.72	FF-94.81
5.	पिछड़ा वर्ग	91.63	-	-
6.	पिछड़े वर्गों की महिला	-	91.54	-
7.	आर्थिक रूप से कमजोर	93.72	93.00	

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण श्रेणी, लिंग, जन्म-तिथि एवं अन्य विवरणों के संबंध में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर ही उन्हें परीक्षाफल में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह सूचना विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों के अभिलेखों अथवा प्रस्तुत विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, विसंगति अथवा गलत जानकारी पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डाटा इंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा एवं अंतिम चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में गलत, भ्रामक अथवा असत्य सूचना देने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक **18.09.2026 (शुक्रवार)** को पूर्वाह्न **11:00 बजे** से किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पृथक रूप से उपलब्ध है।



(मिथिलेश कुमार झा)

उप सचिव- सह- परीक्षा नियंत्रक
बिहार विधान परिषद्।